



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 716) पटना, बृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2018

अधिसूचना संख्या 16/2018-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 214, दिनांक 26 जुलाई 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 14/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या-557, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

- (i) “राज्य सरकार” शब्दों के पश्चात “या संघ राज्य क्षेत्र” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) “पंचायत को” शब्दों के पश्चात “या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 16)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव ।

26 जुलाई 2018

एस० ओ० 214, दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 16)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव ।

*The 26th July 2018***Notification no. 16/2018- State Tax (Rate)**

S.O. 214 Dated 26th July 2018—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7, of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Commercial Taxes Department notification No.14/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 557, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) after the words “*State Government*” the words “*or Union territory*” shall be inserted;
- (ii) after the word “*Constitution*” the words “*or to a Municipality under article 243W of the Constitution*” shall be inserted.

2. This Notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 16)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 716-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>